गर्भसमापन

Abortion

उद्देश्य

- गर्भ की पहली तिमाही में गर्भसमापन की विधियों के बारे में जानना।
- गर्भसमापन सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका को समझना।
- गर्भसमापन अधिनियम (MTP Act) 1971 के बारे में जानना।

गर्भसमापान

- गर्भस्थ शिशु का गर्भाशय में जीवन प्राप्त से पूर्व समापन गर्भसमापान (Abortion) कहलाता है।

गर्भ की पहली तिमाही में गर्भसमापन की विधि

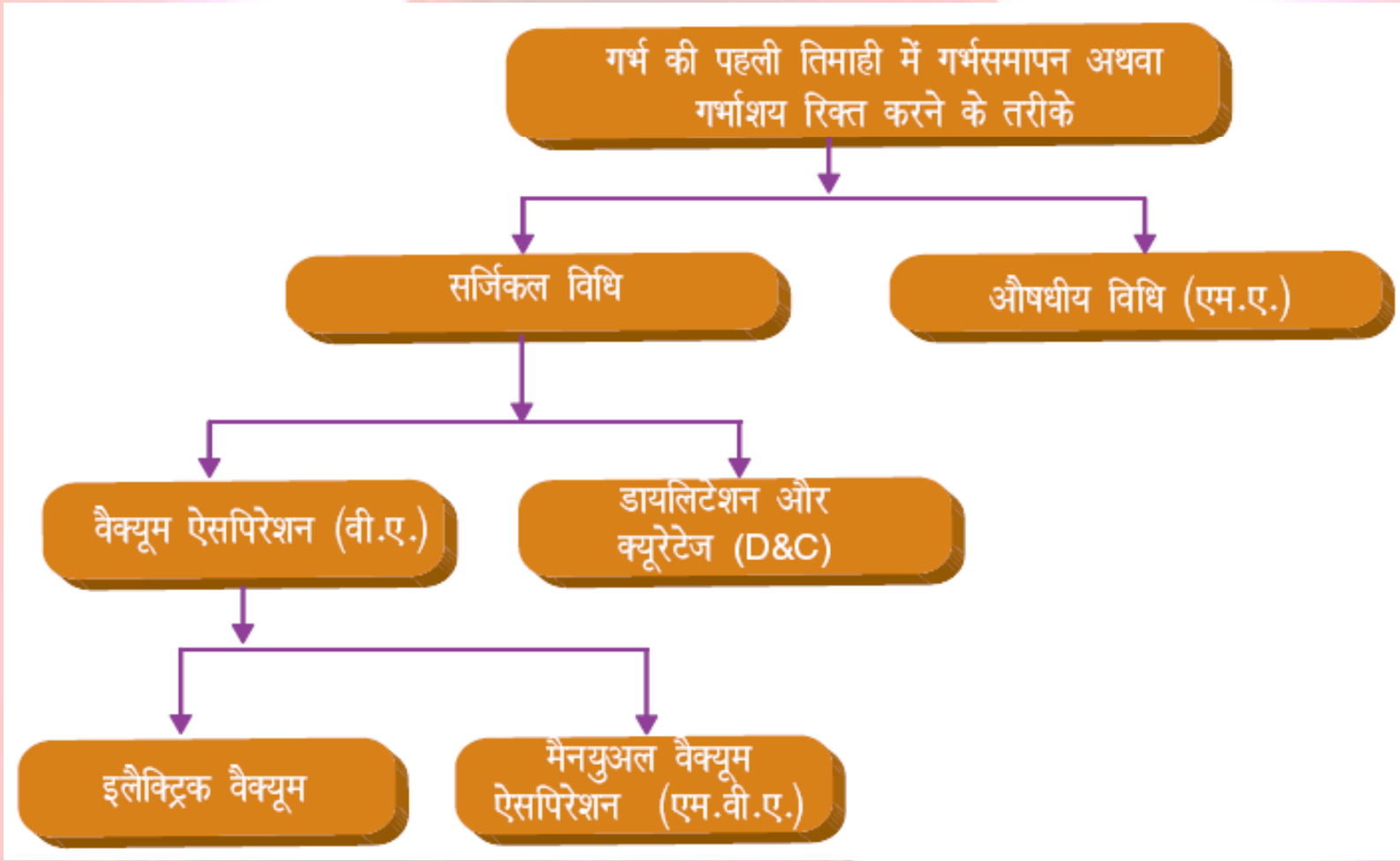

डायलिटेशन और क्यूरेटेज

- स्पैकूलम को वेजाइना में रखकर वालसेलम द्वारा सर्विक्स के लिप्स पर क्लेम्प करके सर्वाइकल डायलिटेशन करें, उसके बाद ओवम फोरसेप्स से भ्रूण और प्लेसेंटा के अंश निकालें।
- गर्भाशय की दीवारों को एक धातु के तेज क्यूरेट से खरोंचा जाता है जिससे कि कोई अंश गर्भाश्य में शेष न रह जाए।

वैक्यूम ऐसपिरेशन (वी.ए.) विधि

- हाथ से चलने वाला प्लास्टिक का उपकरण जिसमें एक सिलेंडर, प्लंजर और वाल्व सिस्टम होता है।
- ऐसपिरेटर, नेगेटिव दबाव के कारण, गर्भ के अशों को कैनूला के माध्यम से सिलेंडर के अंदर खींचता है।

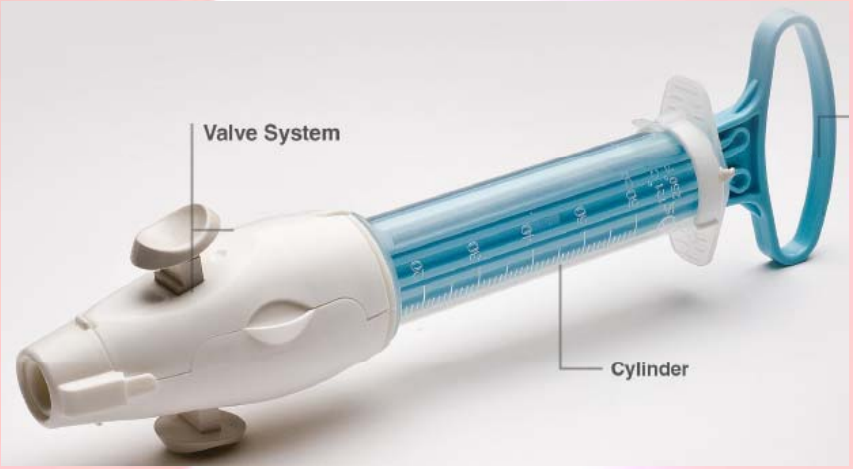

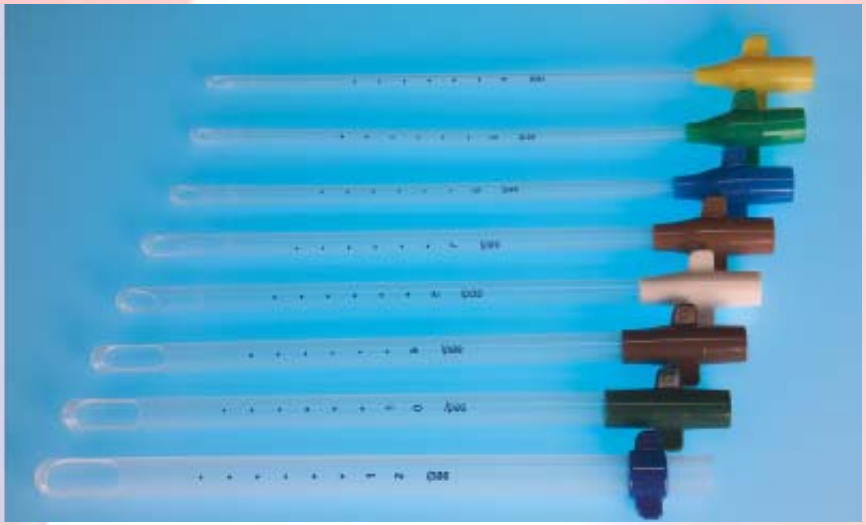

इलैक्ट्रिक वैक्यूम ऐसपिरेशन (ई.वी.ए.)

- इलैक्ट्रिक वैक्यूम ऐसपिरेशन गर्भ के अंशों को निकालने के लिए कैनूला से जुड़ी एक इलैक्ट्रिक पम्प या सक्शन मशीन है।
- कैनूला को गर्भाशय में डाला जाता है और फिर उसे सक्शन मशीन की टयूबिंग से जोड़ा जाता है।
- गर्भ के अंश कैनूला द्वारा मशीन में खींच लिए जाते हैं।

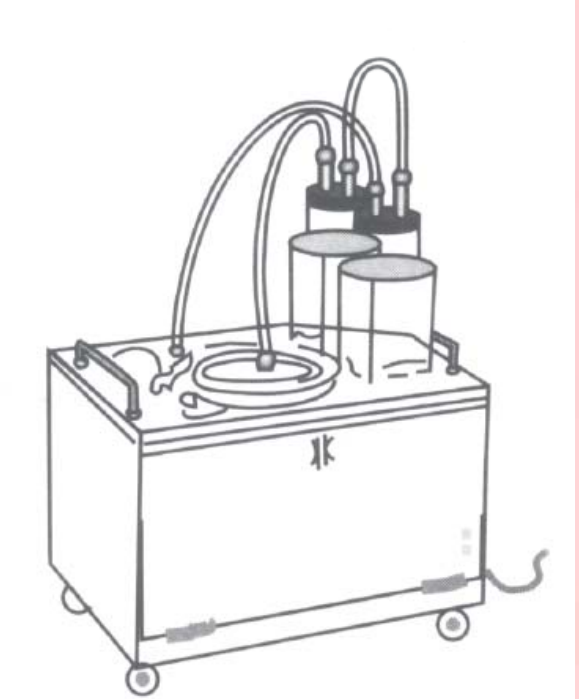

औषधीय गर्भसमापन

1 औषधीय गर्भसमापन विशेष दवाईयों द्वारा किया गया गर्भसमापन है।

2 अंतिम माहवारी से लेकर 63 दिनों (9 सप्ताह) तक के गर्भ समापन के लिए यह असरदार और सुरक्षित तरीका है।

3 इन दवाईयों का उपयोग प्रशिक्षित डाक्टर की सलाह से उनकी देखरेख में, महिला की सही तरह से जाँच के बाद ही करना चाहिए।

औषधीय गर्भसमापन

4 इन दवाईयों का स्वयं उपयोग करना खतरनाक हो सकता है।

5 सही उपयोग न करने पर अधिक और लम्बे समय तक रक्तस्त्राव और अधूरे गर्भसमापन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं।

सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका

- महिला को गर्भसमापन के उपलब्ध और सुरक्षित तरीकों के बारे में जानकारी देना।
- गर्भसमापन सेवाओं के लिए महिला को उचित स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना।
- यदि संभव हो तो महिला के साथ स्वयं जाएं या 'आशा' को भेजें।

मुख्य संदेश

1 गर्भ की पहली और दूसरी तिमाही में गर्भसमापन के सुरक्षित तरीके उपलब्ध हैं। गर्भसमापन प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा मान्यता प्राप्त स्थान पर करवाना चाहिए।

2 पहली तिमाही के आरंभ में गर्भसमापन अधिक सुरक्षित होता है।

3 डायलिटेशन और क्यूरेटेज की जगह, गर्भसमापन कराने के लिए वैक्यूम ऐसपिरेशन और औषधीय गर्भसमापन सुरक्षित तरीके हैं।

मुख्य संदेश

4 वर्तमान में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार औषधीय गर्भसमापन का उपयोग 9 सप्ताह के गर्भ तक के लिए ही सीमित है।

नोट– स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गर्भसमापन की जटिलताओं के लक्षण जल्दी पहचानने चाहिएं और तुरंत देखभाल करनी चाहिए या महिला को उचित स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना चाहिए, जहाँ जटिलताओं की देखरेख के लिए सुविधाएँ मौजूद हों।

गर्भसमापन की जटिलताएं

- गर्भसमापन के दौरान या उसके बाद कई प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं

गर्भासमापन प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात् या एक महीने के अन्दर	दीर्घ कालिन प्रभाव
रक्तस्त्राव	अनीमिया
अधूरा गर्भसमापन	संक्रमण
सदमा (शॉक)	पुनः गर्भधारण करने के लिए असक्षम
जननांग में चोट (गर्भाशय,सर्विक्स,योनि में छेद)	महावारी में अनियमितता
संक्रमण	बार –बार गर्भपात होने की संभावना

गर्भसमापन की जटिलताओं को पहचानने और प्रबंधन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका

1 महिला को शिक्षित करें ताकि वह अप्रशिक्षित प्रदाताओं से गर्भसमापन न कराए।

2 उसे सुरक्षित गर्भसमापन सेवाएँ प्रदान करने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी दें।

3 महिला को बताएं कि गर्भसमापन की जटिलताएँ आपातकालीन स्थिति होती है और इसमें तुरंत विशेषज्ञों की देखभाल की आवश्यकता होती है।

गर्भसमापन की जटिलताओं को पहचानने और प्रबंधन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका

4 महिला को खतरे के लक्षणों और उन्हें पहचानने के बारे में बताएं।

5 पैसे, कपड़े, वाहन, रक्तदाता और साथ जाने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर के रखें।

मुख्य संदेश

1 गर्भसमापन के दौरान या बाद में जटिलताएं हो सकती हैं इसलिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाता व मान्यता प्राप्त स्थान पर गर्भसमापन कराने से जटिलता की संभावना कम होती है।

2 गर्भसमापन जटिलताओं की पहचान जल्दी की जानी चाहिए।

3 जटिलताओं का प्रारंभिक प्रबंधन होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उचित स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना चाहिए।

मुख्य संदेश

4 जटिलताओं की पहचान में देरी जानलेवा हो सकती है।

5 गर्भसमापन एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए इन सेवाओं को प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए सही परामर्श एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

गर्भसमापन के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा देखभाल

1 यदि गर्भसमापन कराना चाहते हैं तो जितना जल्दी कराया जाए उतना सुरक्षित रहता है।

2 महिला को सरकारी केंद्रों पर प्रशिक्षित प्रदाताओं की सेवाएँ लेने हेतु परामर्श दें।

3 अप्रशिक्षित प्रदाताओं द्वारा असुरक्षित गर्भसमापन के खतरों से सावधान करें।

4 महिला को सुरक्षित गर्भसमापन प्रदान करने वाले सरकारी केंद्रों की जानकारी दें।

गर्भसमापन के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा देखभाल

5 गर्भसमापन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दें।

6 गर्भसमापन के बाद शीघ्र गर्भधारण की संभावना के बारे में बताएं।

7 गर्भसमापन के दौरान और उसके बाद भावनात्मक समर्थन दें।

मुख्य संदेश

- गर्भसमापन संबंधित परामर्श में महिला को सक्रियता से सुनना, खुले सवाल करना, भावनाओं को व्यक्त करना और अमौखिक संवाद के प्रति ध्यान देना शामिल है।
- परामर्श में महिला को गर्भसमापन के सभी विकल्प, लाभ, जोखिम और सफलता के बारे में जानकारी दें। यह जरूरी है कि वह बिना किसी दबाव या ज़बरदस्ती के इन विकल्पों में से स्वैच्छिक चुनाव कर पाए।

गर्भसमापन के बाद गर्भनिरोधक

1 गर्भसमापन के बाद महिला को परामर्श या गर्भनिरोधक प्रदान करते समय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को महिला के भविष्य में गर्भवती होने की इच्छा और उसकी शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए।

2 आपातकालीन गर्भनिरोधकों के बारे में जागरूकता पैदा करें और जरुरत पड़ने पर महिलाओं को आपतकालीन गर्भनिरोधक गोलियां (ECP) दें।

गर्भसमापन के बाद गर्भनिरोधक

3 एम.टी.पी. कराने वाली महिलाओं को पुनः जल्द ही गर्भवती होने की संभावना के बारे में बताएं व गर्भनिरोधक का परामर्श दें।

4 गर्भनिरोधक साधनों की आपूर्ति करें और इन्हें पुनः देना सुनिश्चित करें।

5 यदि महिला/दम्पति चाहें तो उन्हें परामर्श दें और लम्बे समय के गर्भनिरोधक उपायों के लिए रेफर करें।

चिकित्सीय गर्भसमापन

एम.टी.पी. अधिनियम 1971

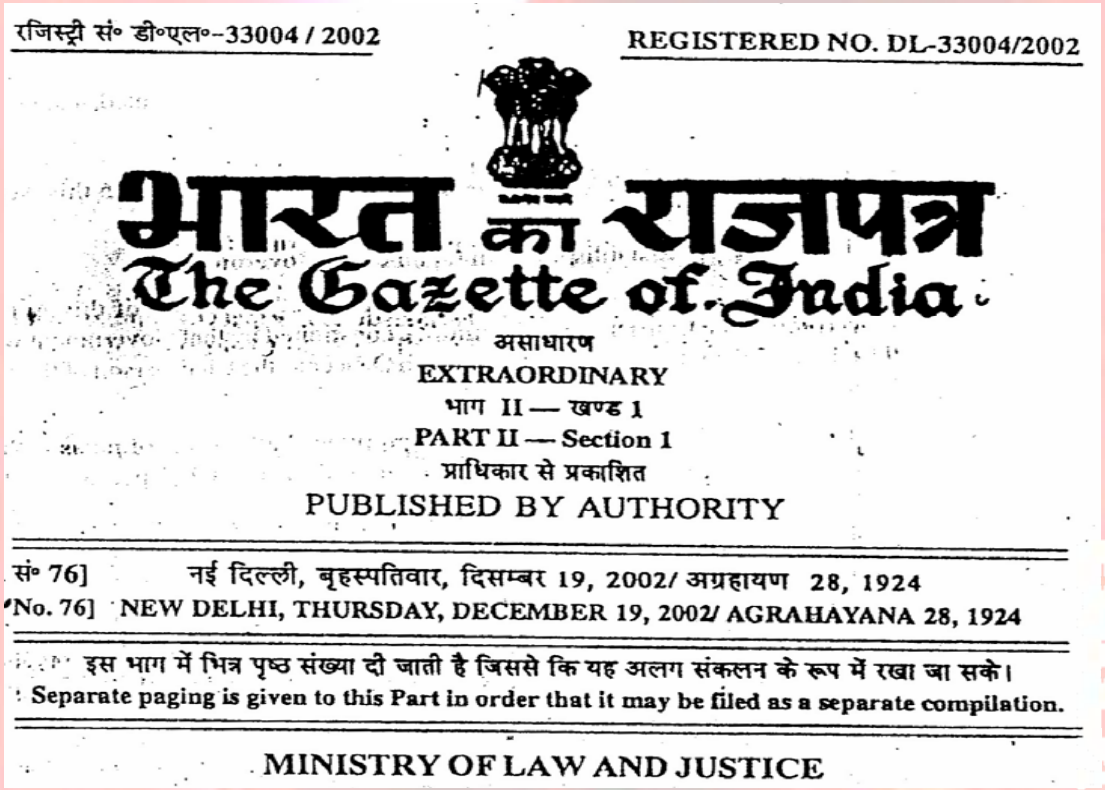

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004 / 2002 REGISTERED NO. DL-33004/2002

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2002/ अग्रहायण 28, 1924
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2002/ AGRAHAYANA 28, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

एम.टी.पी. अधिनियम 1971

- एम.टी.पी. अधिनियम ए.एन.एम., एल.एच.वी., स्टॉफ नर्स, आशा, पारंपरिक जन्म परिचारक (टी.बी.ए.) या अन्य अप्रशिक्षित व्यक्तियों को गर्भसमापन करने की अनुमति नहीं देता।
- हालांकि, उपरोक्त कार्यकर्ता एम.टी.पी. और गर्भसमापन पश्चात् देखभाल के लिए परामर्श और उचित रेफरल सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

गर्भसमापन किन स्थितियों में किया जा सकता है

एम.टी.पी. अधिनियम के अनुसार, गर्भ समापन तभी किया जा सकता है–

1 यदि गर्भवती महिला के जीवन को खतरा है या उसके कारण महिला के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गहरी चोट पहुँच सकती है।

2 यदि पैदा होने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक विकृति हो जो उसके सामान्य जीवन को बाधित करती हो।

गर्भसमापन किन स्थितियों में किया जा सकता

3 यदि गर्भनिरोधक के असफल होने के कारण महिला गर्भवती हो गई है।

4 यदि बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया है।

गर्भसमापन (एम.टी.पी.) कौन कर सकता है?

1 गर्भ 12 सप्ताह तक का हो तो उस हालात में एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय से गर्भसमापन किया जा सकता है।

2 गर्भ 12 से 20 सप्ताह तक का हो उस हालात में दो रजिस्टर्ड डॉक्टरों की राय से गर्भसमापन किया जा सकता है।

गर्भसमापन कहाँ किया जा सकता है?

- एम.टी.पी. सरकार द्वारा स्थापित या संचालित अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा सकता है।
- सरकार या सरकार द्वारा स्थापित जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) से मान्यता प्राप्त निजि नर्सिंग होम में भी किया जा सकता है। डी.एल.सी. के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं।

एम.टी.पी. के लिए सहमति

- यदि महिला 18 वर्ष या 18 से अधिक आयु की हो, और मानसिक रूप से स्थिर हो तो, सहमति फार्म पर केवल महिला की सहमति से ही एम.टी.पी. संपन्न किया जा सकता है। इस स्थिति में पति/परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती।
- नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, सहमति फार्म पर संरक्षक की सहमति आवश्यक होती है।

अधिनियम का पालन न करने पर दण्ड

1 गर्भ समापन करने वाला कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत डॉक्टर नहीं है, उसे न्यूनतम 2 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

2 किसी भी ऐसे स्थान पर, जो मान्यता प्राप्त न हो, वहाँ गर्भ समापन करने वाले को न्यूनतम 2 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

अधिनियम का पालन न करने पर दण्ड

3 यदि गैर मान्यता प्राप्त स्थान पर गर्भसमापन किया जाता है तो उस स्थान के मालिक को भी न्यूनतम 2 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

सारांश

1 असुरक्षित गर्भसमापन से हजारों महिलाएं आजीवन प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करती हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है।

2 अनचाहे गर्भ के समापन के लिए सुरक्षित गर्भसमापन हेतु चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम (एमटीपी एक्ट) 1971 बनाया गया है। यह अधिनियम महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करता है।

सारांश

3 सुरक्षित गर्भसमापन अधिनियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मान्य है परन्तु लिंग जांच आधारित गर्भसमापन गैर कानूनी एवं दंडनीय है।

4 गर्भसमापन अधिनियम की सही एवं संपूर्ण जानकारी जरूरी है। यह अधिनियम कुछ निश्चित परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित गर्भसमापन का अधिकार देता है।

5 गर्भसमापन पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा पंजीकृत स्थान पर ही किया जा सकता है।

धन्यवाद